

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03/2016

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 दलीपसिंह पुत्र महाराजा स्व0 श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बंगला नम्बर 1, पी0डब्ल्यू0डी0 रोड, जोधपुर		1 धोकलसिंह पुत्र मोड़सिंह जाति राजपूत निवासी दुदनी तहसील बाली जिला पाली 2 तहसीलदार बाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित :-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री खीमाराम परिहार, सरकारी पैरोकार

—: निर्णय :-

दिनांक 29.12.2017


प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के नियम 17 (4) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम दूदनी के खसरा नम्बर 56 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि के आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम दूदनी के खसरा नम्बर 56, 57 व 58 सहित अन्य खसरा नम्बरान की कृषि भूमि देवीसिंह पुत्र महाराजा स्व0 उम्मेदसिंह के खातेदारी की काश्त व कब्जे की रही है। देवीसिंहजी की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि उनकी धर्मपत्नि रानी धर्मराजेलक्ष्मी के खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। रानी धर्मराजेलक्ष्मी की मृत्यु के बाद में नामान्तरकरण संख्या 814 द्वारा उपरोक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई। विधिवत रूप से प्रार्थी उपरोक्त भूमि का रिकॉर्ड खातेदार है। देवीसिंहजी के जीवनकाल में उपरोक्त भूमि बाबत सिलिंग कार्यवाही चलना बताते हुए भूमि सिलिंग में अवाप्त होना बताकर खसरा नम्बर 58 रकबा 5 बीघा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें रानी धर्मराजेलक्ष्मी को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, उनकी मृत्यु के पश्चात विधिवत रूप से प्रार्थी ही वारिश है, जो उक्त वाद में प्रतिरक्षा कर रहा है। अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से आज दिनांक तक किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक रही। उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है। भू प्रबन्ध के बाद बनाये गये नये खसरा नम्बर 72, 76 व 80 सहित अन्य खसरा नम्बरान की भूमि बतौर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज सुदा हे। तथाकथित आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार या खातेदार के रूप में कभी भी दर्ज नहीं रहा है, इस स्थिति में आवंटन आरम्भ से ही शून्य है। आवंटी द्वारा न तो आवंटनसुदा भूमि पर कभी भी कब्जा प्राप्त किया तथा न ही रिकॉर्ड में कभी खातेदार अथवा गैर खातेदार दर्ज रहा, इसके अतिरिक्त आवंटी द्वारा किसी

दात. जिला कलक्टर, पाली

भी रूप में आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना नहीं की है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया गया आवंटन कायम रखे जाने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2017 पेज 415, आर0आर0डी0 2001 पेज 465 तथा आर0आर0डी0 2002 पेज 1 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्डेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि पूर्व में महाराजा देवीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के नाम की दर्ज थी। देवीसिंह के विरुद्ध सिलिंग प्रकरण विचारण होकर निर्णित हुआ तथा तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 18.06.1976 की अनुपालना में उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया। सिलिंग में भूमि अवाप्त होने के पश्चात दिनांक 13.02.1983 को कुल 39 व्यक्तियों को उक्त भूमि आवंटित की गई, जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 को भी भूमि का आवंटन किया गया तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। दिनांक 13.06.2012 को तहसीलदार बाली द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें खसरा नम्बर 56, 57 व 58 की भूमि का आवंटन होना तथा कब्जा सुपुर्द किया जाना अंकित किया तथा साथ ही यह भी अंकित किया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिग्रहित एवं आवंटित भूमि को महाराजा देवीसिंह के खाते में दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर कब्जा काशत अप्रार्थी का है। महाराजा देवीसिंह के खाते में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कृषि भूमि गलत रूप से दर्ज की गई है। आवंटन होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 19.02.1983 को स्वीकृत किया गया, जिसमें अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि नामान्तरकरण स्वीकृत होने के दौरान द्वितीय सेटलमेन्ट हुआ तथा नए खसरा नम्बर 72, 76 व 80 कायम हुए, इसमें विधि विरुद्ध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के देवीसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। सिलिंग में भूमि अवाप्त होने के आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं की गई है, इस कारण वह आदेश अन्तिम है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध जाकर भूमि पुनः देवीसिंह के नाम दर्ज की गई है, जिसका भू प्रबन्ध विभाग को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। महाराजा देवीसिंह की मृत्यु के बाद रानी धर्मराजेलक्ष्मी के नाम उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का नामान्तरकरण दायर किया गया। इसके पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष रानी धर्मराजेलक्ष्मी को प्रतिवादी संयोजित करते हुए अप्रार्थी द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है, जो विचाराधीन है। इन खसरा नम्बरान की भूमि पर कभी भी रानी धर्मराजेलक्ष्मी का कब्जा काशत नहीं था। उक्त भूमि पर बतौर आवंटी अप्रार्थी का ही कब्जा काशत है। रानी धर्मराजेलक्ष्मी का देहान्त होने पर दिलीपसिंह द्वारा अपने आपको रानी धर्मराजेलक्ष्मी का उत्तराधिकारी बताते हुए अपने नाम नामान्तरकरण दायर करवाया। इस नामान्तरकरण के विरुद्ध राजेन्द्रसिंह पुत्र महाराजा हिम्मतसिंह द्वारा अपील प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि महाराजा देवीसिंह के सिर्फ दिलीपसिंह ही वारिश नहीं थे, इनके अलावा महाराजा हड़मतसिंह, महाराजा हिम्मतसिंह भी थे। इस कारण द्वितीय अनुसूची के अनुसार नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया है। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 05.06.2013 को दिलीपसिंह के पक्ष में पारित नामान्तरकरण को अपास्त कर दिया तथा उस निर्णय में भी भूमि सिलिंग प्रभावित होना तथा आवंटन सम्बन्धी तथ्य अंकित किये। आवंटित भूमि पर आवंटी का ही कब्जा है, जो कब्जा सुपुर्दगी दिनांक 13.02.1983 एवं तहसीलदार बाली की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2012 से स्पष्ट साबित होता है तथा अधिग्रहित भूमि का द्वितीय सेटलमेन्ट में देवीसिंह का नाम दर्ज किया जाना स्पष्ट है। रानी धर्मराजेलक्ष्मी का कब्जा हो, इस बाबत दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी के दस्तावेजी सबूत कब्जे बाबत पत्रावली में उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी की नकले जानबूझकर प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि नये खसरा नम्बर 72, 76, 80 में काशत दर्ज है। चूंकि रेकॉर्ड में रानी धर्मराजेलक्ष्मी का नाम दर्ज है व काशत इन गिरदावरी में दर्ज की जाती है। यदि काशत व उपयोग उपभोग नहीं होता तो आवश्यक रूप से अप्रार्थी गिरदावरी प्रस्तुत करता। इस कारण वक्त आवंटन से आज तक वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काशत है। इसके



अतिरिक्त दिलीपसिंह इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि के पीड़ित पक्ष नहीं हैं तथा न ही इनका किसी प्रकार से हक हकूक है। यह समरी प्रोसिडिंग है तथा उक्त भूमि वर्ष 1996 में ही सिलिंग में अवाप्त होकर सिवायचक दर्ज की जा चुकी है। देवीसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं हैं व द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी महाराजा हिम्मतसिंह, महाराजा हरीसिंह व हड़मतसिंह उनके वारिशांन हैं। हक अधिकार वाद संख्या 88/2011, 52/2011 व 61/2011 में तय होंगे। हक अधिकार व कब्जा भी घोषणा के वाद में तय होगा, जो साक्ष्य लेकर, तनकीयात बनाकर तय किये जाएंगे। समरी प्रोसिडिंग के जरिये वाद का निस्तारण किया जाना विधि विरुद्ध है। प्रकरण सीलिंग से प्रभावित भूमि से सम्बन्धित है तथा प्रार्थी तृतीय पक्ष है, जिसे व्यक्तिगत केपेसेटी में प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। सिलिंग प्रभावित भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जिसे महाराजा देवीसिंह व रानी धर्मराजेलक्ष्मी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इस कारण प्रार्थी इसे चुनौती देने का अधिकार नहीं रखता है। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी का वक्त आवंटन से लगातार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 1970 का उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के 34 वर्षों बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी स्वयं के हक अधिकार ही तयसुदा नहीं है, तो इस आधार पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। तकनीकी आधार पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1981 पेज 155, आर0आर0डी0 2010 पेज 152 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि सिलिंग आवंटन हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम लागू होते हैं। सिलिंग आवंटन नियम 17 में स्पष्ट अंकित है कि सिलिंग आवंटन या आवंटन को निरस्त कराने के लिये प्रभावित व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। जिला कलेक्टर स्वप्रेरणा या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पेश करने पर जांच करके या आवंटन नियमों की पालना नहीं हुई हो, तो आवंटन निरस्त कर सकता है। इसके लिये प्रभावित व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। हस्तगत प्रकरण में न तो उत्तराधिकारी का विवाद है एवं न ही उत्तराधिकारी तय किया जाना है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय में प्रकरण को तहसीलदार बाली को रिमाण्ड कर धारा 135 (2) में जांच कर विधि अनुसार निर्णय पारित करने के निर्देश दिये हैं। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है तथा प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण बहाल है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है, यदि कब्जा होता तो अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाते, जब नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज होना बता रहे हैं, तो उसका अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करना स्पष्ट है, जो यह साबित करता है कि अप्रार्थी का वादस्थ भूमि पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना जाहिर किया है। उस दावे से इस प्रकरण का कोई सरोकार नहीं है। यह प्रकरण मात्र इस आधार पर लाया गया है कि अप्रार्थी आवंटी का आवंटन दिनांक से आज तक मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा इस लिये नियमों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन खारिज योग्य है। मात्र कब्जा देने का उल्लेख कर देने से कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। सिलिंग आवंटन में आरक्षित मूल्य जमा करवाना आवश्यक होता है, आरक्षित मूल्य जमा करवाये बिना अमल दरामद नहीं हो सकता है। यदि अप्रार्थी का कब्जा होता तो वे आरक्षित मूल्य जमा करवाते। चूंकि मौके पर कब्जा नहीं था, इसलिये अप्रार्थी ने आरक्षित मूल्य जमा नहीं करवाया। अतः आवंटन खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ग्राम दूदनी के खसरा नम्बर 56 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा की भूमि का आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी के पक्ष में

जो आवंटन आदेश पारित किया गया है, उस पर स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त भूमि सिलिंग की होने से 65.00 प्रतिबीघा नियमानुसार देय होगा। इससे यह साबित होता है कि भूमि सिलिंग में अवाप्त होने के पश्चात आवंटन की गई है। चूंकि प्रकरण राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के नियम 17 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया है, तो प्रथमतः उक्त नियम को रेखांकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अनुसार "विहित अधिशेष भूमि का आवंटन - (1) उपनियम, (2), (3), (4) तथा नियम 18, 19, 20, 20क तथा 21 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार में विहित अधिशेष भूमि जो कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण की विधि के अन्तर्गत है, राजस्थान भूमि राजस्व (कृषि के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 से आयोजना क्षेत्रों में तथा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत योजना क्षेत्रों में आवंटन की जावेगी।" इन नियमों के नियम 17 (4) के प्रावधान ठीक उसी प्रकार के हैं, जैसे की राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के प्रावधान है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्ति की हैसियत इनफोरमर अर्थात् सूचना देने वाले व्यक्ति जैसी होती है। यह जिला कलेक्टर के देखने की विषय वस्तु है कि क्या वास्तव में आवंटन नियमों के विरुद्ध हुआ है अथवा आवंटन के पश्चात आवंटि द्वारा नियमों की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और तदनुसार आवंटन कायम रखे जाने अथवा निरस्त करने का निर्णय करने का कार्य कलेक्टर का है। ऐसा व्यक्ति एग्रीड पक्ष की संज्ञा में नहीं आता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्दर्भित नियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध व्यक्ति होना भी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार तथाकथित रूप से यदि प्रार्थी हितबद्ध नहीं पाया जाता तो भी वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में जो आवंटन की शर्तों के प्रावधान वर्णित है, उनके परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया जाता है, तो हस्तगत प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रकट होते हैं - प्रथम - क्या आवंटि का वक्त आवंटन से आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है ? जिसे प्रथम वर्ष में 50 वर्ष तथा शेष भूमि पर द्वितीय वर्ष में काश्त करना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादस्थ भूमि पूर्व में देवीसिंह वल्द उम्मेदसिंह जी कौम राजपूत हाल के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिसकी ताईद ग्राम दूदनी की जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 से होती है। उक्त जमाबन्दी में लगे नोट के अनुसार अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 56, 57 व 58 की भूमि सिलिंग में अवाप्त होने से सरकारी खाते में दर्ज की गई इसके पश्चात उक्त भूमि दिनांक 13.02.1983 को अप्रार्थी को आवंटन हुई है, जिसका अमल दरामद जरिये नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 13.02.1983 को राजस्व रेकर्ड में किया गया। इसके पश्चात तथाकथित रूप से उक्त भूमि पुनः देवीसिंह के खाते दर्ज की गई। सिवायचक से पुनः भूमि को देवीसिंह के नाम किस आदेश से दर्ज किया गया ? यह पत्रावली पर स्पष्ट नहीं है तथा न ही उभयपक्ष इसे स्पष्ट करने में सफल रहे हैं। तदनुसार उक्त भूमि के नये खसरा नम्बरान की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रानी धर्मराज्यलक्ष्मी पत्नि देवीसिंह कौम राजपूत सा0 जोधपुर की खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उनमें कैम्प दूदनी में आवंटन दिनांक 13.02.1983 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें आवंटन किया जाना अंकित है, किन्तु आरक्षित मूल्य जमा होना, कब्जा सुपुर्द किया जाना किसी भी स्तर पर प्रमाणित नहीं होता है। द्वितीय दस्तावेज जो अप्रार्थी ने प्रस्तुत किया, वह तहसीलदार बाली द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 13.06.2012 की प्रति है, जिसमें गत खसरा नम्बर 56, 57 व 58 सहित अन्य भूमियों को दिनांक 20.07.1976 को सिलिंग में अधिग्रहित किया जाकर सिवायचक दर्ज किया जाना अंकित किया तथा उक्त आवंटित भूमि का आवंटियों को दिनांक 13.02.1983 को कब्जा सुपुर्द किया जाना अंकित किया। इसके साथ ही यह भी अंकित किया कि नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात नये रेकर्ड के अनुसार पुराने खसरा नम्बरान की अन्य भूमियों के साथ गत खसरा नम्बर 56, 57 व 58 की भूमि देवीसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। विद्वान अभिभाषक



अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1981 पेज 155, आर0आर0डी0 2010 पेज 152 तथाभिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा काश्त की गई हो अथवा अप्रार्थी का कब्जा हो। न तो प्रार्थी ने खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की तथा न ही अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है। आर0आर0डी0 2017 पेज 415 हरिशंकर मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, नियम 14 (3)– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 46 (एफ) – 25 वर्ष बाद भूमि का आवंटन रद्द किया–आवंटन का उद्देश्य व प्रयोजन – भूमि काश्त निरन्तर होनी चाहिये–अभिवाक् कि 2 वर्ष बाद भूमि का काश्त करना आवश्यक नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है – 10 वर्ष के अवसान के बाद खातेदारी के अधिकार की मांग नहीं की–निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष–अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत हस्तक्षेप अस्वीकार किया गया।" इसी प्रकार का सिद्धान्त आर0आर0डी0 2001 पेज 465 में भी प्रतिपादित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में भी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं पाया गया तथा न ही अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के अवसान के पश्चात भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग की गई। इस कारण ये दोनो ही सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता। इस प्रकार प्रथमतः आवंटन नियमों की शर्त का उल्लंघन पाया जाता है। इस कारण जैर प्रार्थना पत्र आवंटन को बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अप्रार्थी धोकलसिंह पुत्र मोड़सिंह जाति राजपूत निवासी दुदनी को ग्राम दूदनी के खसरा नम्बर 56 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि के किए गये आवंटन दिनांक 13.02.1983 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार बाली को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।



सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली